न्याय आपके द्वार अभियान 2018
शिविरः— नारलाई
दिनांक :— 04.06.2018

घीसाराम बनाम हकाराम वगेरह

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 15/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **आदेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु
04.06.2018	वादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त भूमि मौजा नारलाई तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 2086, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2117 कुल रकबा 14.67 हेक्टर भूमि में उसके पिता द्वारा धारित हिस्से में से 6/120 वां हिस्सा घोषणा खातेदारी एवं विभाजन का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। वादीगण ने पिता हकाराम के जीवनकाल में गलत रूप से वाद बाबत घोषणा विभाजन एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। जिसका कानूनन उक्त वाद पेश करने का अधिकारी ही नहीं है। वादीगण का वाद कानूनन रूप से बाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को सुना एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 3/20 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 हकाराम पुत्र माला जो वादी का पिता है। उसके जीवनकाल में वादीगएर वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 हकाराम के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के अधिकार वादीगण को दिया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों से वर्जित है न ही मांगा गया अनुतोष ही विधि अनुसार है, न हीं वाद का वादकरण ही उत्पन्न है अतः प्राथमिक स्थिति पर ही वादी का वाद खारिज किये जाने के योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न उद्वहरणों यथा डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 2017 पेज 174, पेज 133 व आर.आर. टी. 2009(1) पेज 162, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 365 से भी उक्त स्थिति की पुष्टि होती है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। **(राजेश मेवाड़ा)** उपखण्ड अधिकारी देसूरी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी